BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 19 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू पुत्र सरनलाल निवासी मौ0 कोटकला थाना शिकारपुर बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में थाना शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत 03 बच्चों के साथ कुकर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर मुअसं-361/13 धारा-377 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.11.22 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त सोनू को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव व श्री सुनील शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर